भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1102

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

छोटे शहरों में रोजगार के अवसरों के लिए शिक्षा

1102. **डॉ. लता वानखेड़े:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे शहरों में रोजगारोन्मुखी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने तथा कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करने का है;
(ख) क्या छोटे शहरों के स्कूलों और कॉलेजों में कौशल विकास के नए पाठ्यक्रम शुरू करने की सरकार की कोई योजना है ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें;
(ग) क्या सरकार का विचार विद्यार्थियों को रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करने तथा उन्हें अपने क्षेत्र में सही करियर चुनने में सहायता देने के लिए करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और
(घ) क्या सरकार का विचार छोटे शहरों में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): सरकार ने स्कूल शिक्षा को अधिक रोजगारोन्मुख बनाने तथा विद्यार्थियों के रोजगारपरक कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के कौशल शिक्षा घटक के तहत लाभकारी रोजगार हेतु आवश्यक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल विकसित करने के लिए योजना के अंतर्गत कवर स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर अर्थात् कक्षा IX और X में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में कौशल मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अर्थात् कक्षा XI और XII में कौशल पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। स्किल गैप विश्लेषण के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए अब तक 138 जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों को मंजूरी दी गई है। जेआर पाठ्यक्रम में संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल,

उद्यमिता कौशल और हरित कौशल सहित रोजगार कौशल मॉड्यूल शामिल किए गए है। स्कूलों और डाइट्स में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यावसायिक या कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा की मौजूदा योजना को नया रूप दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नई पहलों जैसे इंटर्नशिप, बैगलेस दिवस, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की सुविधा आदि को सहायता प्रदान की जा रही है। एनईपी 2020 की चौथी वर्षगांठ पर छात्रों के लिए 10 बैगलेस दिनों के दिशानिर्देश जारी किए गए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के समन्वय से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पीएमकेवीवाई 4.0 को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग उद्योग क्षेत्र की साझेदारी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आभासी वास्तविकता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में छात्रों के ज्ञान और अनुभव को बढ़ा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में विकसित स्कूल शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में व्यावसायिक शिक्षा के दृष्टिकोण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उक्त उद्देश्यों में से एक यह है कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक क्षमताएं, ज्ञान और प्रासंगिक मूल्य विकसित किए जाएंगे और इससे उनके लिए स्कूल के बाद कार्यबल में शामिल होने की संभावना यदि वे ऐसा करना चाहें पैदा होगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शैक्षिक ढांचे के प्रमुख घटक के रूप में स्कूलों में परामर्श के महत्व पर बल दिया गया है। यह नीति प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, रुचियों और सकारात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सिफ़ारिश करती है। एनईपी 2020 कैरियर मार्गदर्शन सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ावा देती है। डीओएसईएल द्वारा एनईपी 2020 की चौथी वर्षगांठ समारोह पर स्कूली छात्रों के लिए करियर गाइड बुक का विमोचन किया है। इस कैरियर गाइड बुक में 21 क्षेत्रों के 500 कैरियर कार्ड शामिल हैं। प्रत्येक कैरियर कार्ड में कार्य प्रोफ़ाइल, आवश्यक व्यक्तिगत गुण, पाठ्यक्रम शुल्क, छात्रवृत्ति, ऋण संभावनाएं, प्रवेश मार्ग, पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं (सरकारी/निजी/ऑनलाइन पाठ्यक्रम) के बारे में विवरण और क्षेत्र में अग्रणी लोगों के उदाहरण शामिल हैं। इस पुस्तक की प्रति https://dsel.education.gov.in/careers/index.html पर उपलब्ध है।

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कैरियर परामर्श को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो विद्यार्थियों को उनकी पसंद, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार उपलब्ध विभिन्न कैरियर अवसरों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। समग्र शिक्षा की संशोधित योजना में ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) में प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी पर कैरियर परामर्श के लिए एक अकादमिक संसाधन व्यक्ति की व्यवस्था करने का प्रावधान है। डीओएसईएल ने समग्र शिक्षा के तहत बीआरसी में कैरियर परामर्श के लिए अकादमिक संसाधन व्यक्ति के प्रावधान के लिए दिशानिर्देशों को भी अंतिम रूप दिया है, जो https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/update/guidelines_brc_1707.pdf. पर उपलब्ध हैं।

******